



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 199-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 2023 (KARTIKA 24, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 नवम्बर, 2023

**संख्या 68/जीएसटी-2.**— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।  
(2) ये नियम 26 अक्टूबर, 2023 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 28 को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप-नियम के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—  
“(2) उप-नियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रदायकर्ता द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता, जो एक संबंध व्यक्ति है, को उक्त प्राप्तिकर्ता की ओर से किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था को कारपोरेट गारंटी प्रदान करके की गई सेवाओं के प्रदाय का मूल्य, ऐसी प्रस्तावित गारंटी या वास्तविक प्रतिफल, जो भी अधिक हो, की राशि का एक प्रतिशत होना समझा जाएगा।”।
- उक्त नियमों में, नियम 142 में, उप-नियम (3) में, “प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में सूचना” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- उक्त नियमों में, नियम 159 में, उप-नियम (2) में, “जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर” शब्दों के पश्चात्, “या उप-नियम (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो” शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में, भाग-ख में, क्रम संख्या 2 में, खंड (xiv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—  
“(xivक) एक व्यक्ति कंपनी”।
- उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-08 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**“प्ररूप जीएसटी आईजी-08**

[देखिए नियम 12(3)]

संदर्भ संख्या

तिथि :

श्रीमान्

नाम:

पता:

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तिथि:

स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश

यह, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए निम्नलिखित कारणों से पत्र/मेल तिथि ..... द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में है, अर्थात्:-

(i.)

(ii.)

अधोहस्ताक्षरी की राय है कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तिथि &lt;&lt;दिन/मास/वर्ष&gt;&gt; है।

2. आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी।

3. कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें।

4. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का भुगतान करने या रद्द करने की तिथि से पहले किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तिथि से पहले या बाद में अवधारित किए गए हैं।

या

**स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश**

यह तिथि ..... को जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में है।

○ चूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है,

और चूंकि, इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है; या

○ चूंकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तिथि ----- द्वारा प्रस्तुत किया गया है,

और चूंकि, कारण बताओ नोटिस के बारे में आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है: या

○ चूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित दिन पर आप व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए,

और चूंकि इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है: या

○ चूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल हुए और लिखित या मौखिक निवेदन किया,

और चूंकि, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए आपके लिखित या मौखिक निवेदन की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है: या

○ चूंकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तिथि ----- द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन, आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित या विस्तारित तिथि पर व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल नहीं हुए,

और चूंकि, कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर की परीक्षा करने पर और इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है: या

○ चूंकि कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र तिथि ----- के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और आप या प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई में शामिल हुए, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान लिखित/मौखिक निवेदन किया, और चूंकि, अधोहस्ताक्षरी ने कारण बताओ नोटिस के आपके उत्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के समय किए गए निवेदन की परीक्षा की है और उसकी राय है कि आपका रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने के लिए दायी है:

(i.)

(ii.)

रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रभावी तिथि <<दिन/मास/वर्ष>> है।

2. कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज़ देखें।

3. आपको लंबित विवरणी तुरंत प्रस्तुत करनी होगी।

4. यह ध्यान दिया जाए कि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्यों का भुगतान करने या रद्द करने की तिथि से पहले किसी भी अवधि के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बाध्यता का निर्वहन करने का दायित्व प्रभावित नहीं होगा, चाहे ऐसे कर और अन्य शोध्य रद्दकरण की तिथि से पहले या बाद में निर्धारित किए गए हैं।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता"।

7. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-8 में,—

(क) क्रम संख्या 5 का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 7 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

**"7. भुगतानयोग्य और भुगतान किया गया ब्याज, विलंब फीस**

विवरण	भुगतानयोग्य राशि	भुगतान की गई राशि
1	2	3
<b>(I) .....निम्नलिखित की बाबत टीसीएस के मद्दे ब्याज</b>		
(क) एकीकृत कर		
(ख) केन्द्रीय कर		
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
<b>(II) विलंब फीस</b>		
(क) केन्द्रीय कर		
(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		

(ग) क्रम संख्या 9 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

**"9. टीसीएस, ब्याज और विलंब फीस के भुगतान के लिए नकद खाते में विकलन प्रविष्टियां [विवरण दाखिल करने के पश्चात् समष्टित]**

विवरण	कर	ब्याज	विलंब फीस
1	2	3	4
(क) एकीकृत कर			
(ख) केन्द्रीय कर			
(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			"।

8. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में, भाग-ख में, क्रम संख्या 4 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"4.	चाहा गया नामांकन:	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट</li> <li>(2) कंपनी सचिव</li> <li>(3) लागत एवं प्रबंधन लेखाकार</li> <li>(4) विधि में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री</li> <li>(5) वाणिज्य में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री</li> <li>(6) उच्च संपरीक्षा सहित बैंकिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री</li> <li>(7) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री</li> <li>(8) बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य डिग्री</li> <li>(9) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता- प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा</li> <li>(10) सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी</li> <li>(11) विद्यमान विधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विक्रय कर व्यवसायी</li> <li>(12) विद्यमान विधि के अधीन कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कर विवरणी तैयार करने वाला</li> <li>(13) सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा</li> </ol>
-----	-------------------	---

**टिप्पण:** सारणी की क्रम संख्या (4) से (8) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से होने चाहिए।"।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में, अंतिम पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"यह आदेश, आयुक्त द्वारा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में आदेश जारी किए जाने की तिथि को या इस आदेश के जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, प्रभावी नहीं रहेगा।"।

देविंदर सिंह कल्याण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 15th November, 2023

**No. 68/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2023.  
 (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 26<sup>th</sup> October, 2023.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), rule 28 shall be renumbered as sub-rule (1) and after the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-  
 “(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the value of supply of services by a supplier to a recipient who is a related person, by way of providing corporate guarantee to any banking company or financial institution on behalf of the said recipient, shall be deemed to be one per cent of the amount of such guarantee offered, or the actual consideration, whichever is higher.”.
3. In the said rules, in rule 142, in sub-rule (3), for the words “proper officer shall issue an order”, the words “proper officer shall issue an intimation” shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 159, in sub-rule (2), after the words “Commissioner to that effect”, the words “or on expiry of a period of one year from the date of issuance of order under sub-rule (1), whichever is earlier,” shall be inserted.
5. In the said rules, in **FORM GST REG-01**, in PART-B, in serial number 2, after clause (xiv), the following clause shall be inserted, namely:-  
 “(xiva) One Person Company”.
6. In the said rules, for **FORM GST REG-08**, the following form shall be substituted, namely:-

**FORM GST REG-08**

[See rule12(3)]

Reference No

Date:

To

Name:

Address:

Application Reference No.(ARN)

Date:

**Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source**

This is in reference to the request raised *vide* letter/mail dated ..... for cancellation of registration under the Act due to the following reason, namely:-

- i.
- ii.

The undersigned is of opinion that the effective date of cancellation of registration is <<DD/MM/YYYY>>.

2. You are required to furnish pending returns immediately.
3. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.
4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

**OR**

**Order of Cancellation of Registration as Tax Deductor at source or Tax Collector at source**

This has reference to the show-cause notice issued dated.....

- Whereas no reply to the show cause notice has been submitted, and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) : or
- Whereas reply to the show cause notice has been submitted *vide* letter dated\_\_\_\_\_, and whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) :- or
- Whereas no reply to the show cause notice has been submitted and on day fixed for personal hearing, you did not appear in person or through authorised representative, and whereas, the undersigned based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for following reason(s) : or
- Whereas no reply to the show cause notice has been submitted, but you or authorised representative attended the personal hearing and made a written or verbal submission, and whereas, the undersigned on examination of your written or verbal submission made during personal hearing and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) : or
- Whereas reply to the show cause notice has been submitted *vide* letter dated\_\_\_\_\_. But, you or authorised representative did not attend the personal hearing on scheduled or extended date. and whereas, the undersigned on examination of your reply to show cause notice and based on record available with this office is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) : or
- Whereas reply to the show cause notice has been submitted *vide* letter dated\_\_\_\_\_ and you or authorised representative attended the personal hearing, made a written/oral submission during personal hearing. And whereas, the undersigned has examined your reply to show cause notice as well as submissions made at the time of personal hearing and is of the opinion that your registration is liable to be cancelled for the following reason(s) :

- i.  
ii.

The effective date of cancellation of registration is<<DD/MM/YYYY>>.

2. Kindly refer to the supportive document(s) attached for case specific details.
3. You are required to furnish pending returns immediately.
4. It may be noted that the cancellation of registration shall not affect the liability to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

Place:

Date:

Signature  
Name of the Officer  
Designation  
Jurisdiction”;

7. In the said rules, in **FORM GSTR-8**,-
  - (a) serial number 5 shall be omitted;
  - (b) for serial number 7 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

**“7. Interest, late fee payable and paid**

Description	Amount payable	Amount paid
1	2	3
<b>(I) Interest on account of TCS in respect of</b>		
(a) Integrated tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		
<b>(II) Late fee</b>		
(a) Central tax		
(b) State / UT tax		

- (c) for serial number 9 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:—

“9. Debit entries in cash ledger for TCS, interest and late fee payment [to be populated after filing of statement]

Description	Tax	Interest	Late fee
1	2	3	4
(a) Integrated tax			
(b) Central Tax			
(c) State/UT Tax			

”.

8. In the said rules, in **FORM GST PCT-01**, in PART-B, for serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number 4 and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“

4	Enrolment sought:	(1) Chartered Accountant (2) Company Secretary (3) Cost and Management Accountant (4) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Law (5) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Commerce (6) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Banking including Higher Auditing (7) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Administration (8) Graduate or Postgraduate or its equivalent degree in Business Management (9) Degree examination of any Foreign University recognized by any Indian University (10) Retired Government Officials (11) Sales Tax practitioner under existing law for a period of not less than five years (12) Tax return preparer under existing law for a period of not less than five years (13) Any other examination notified by Government
---	-------------------	---

Note: Serial number (4) to (8) of the table should be from an Indian University established by any law for the time being in force.

”;

9. In the said rules, in **FORM GST DRC-22**, after the last paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“This order shall cease to have effect, on the date of issuance of order in FORM GST DRC-23 by the Commissioner, or on the expiry of a period of one year from the date of issuance of this order, whichever is earlier.”.

DEVINDER SINGH KALYAN,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.